महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 18.07.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

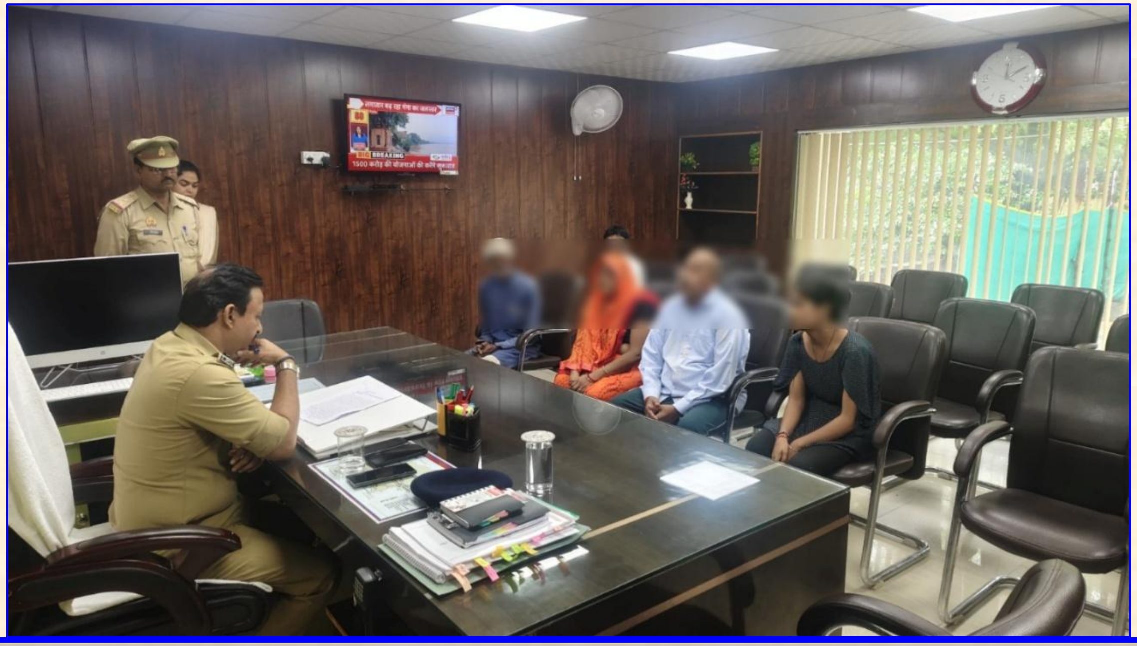

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 18.07.2025

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः- 18.07.2025 को बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 18.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना चरखारी पुलिस की तत्परता से टली जनहानि, बाढ के पानी के बीच फंसे पिता-पुत्री को रेस्क्यू कर निकाला सुरक्षित।

आज दिनांक 18 जुलाई 2025 को जनपद महोबा में देर रात से हो रही लगातार भारी वर्षा के चलते अर्जुन नदी का जलस्तर तेज़ी से बढ़ गया, जिससे थाना चरखारी क्षेत्रान्तर्गत पुलिस चौकी सूपा के ग्राम सूपा निवासी जय सिंह पुत्र राम प्रसाद उम्र करीब 80 वर्ष एवं उनकी पुत्री लक्ष्मी वर्ष 38 वर्ष जो अपने खेत में अवस्थित अपनी झोपड़ी में बाढ़ के पानी से चारों ओर से घिर गए और वहां फंसे रह गए।

सूचना प्राप्त होते ही थाना चरखारी पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए ग्रामवासियों, गोताखोरों एवं स्थानीय राजस्व टीम (लेखपाल) के साथ मौके पर पहुंचकर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कठिन परिस्थितियों एवं निरंतर हो रही वर्षा के बावजूद सभी की संयुक्त प्रयासों से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

पीड़ित पिता-पुत्री ने पुलिस प्रशासन द्वारा समय पर पहुंचकर दी गई सहायता के लिए हार्दिक आभार एवं प्रशंसा व्यक्त की है।

जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, सेवा एवं सहयोग के लिए सदैव तत्पर है।

पुलिस प्रशाशनिक टीम का विवरण-

1. उ0नि0 विनोद कुमार सिंह, चौकी प्रभारी सूपा, थाना चरखारी।
2. मु.आरक्षी अजीत कुमार सिंह 3. लेखपाल जितेन्द्र उपाध्याय सहित स्थानीय निवासी एवं गोताखोरों का विशेष सहयोग रहा।

थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 05 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु जनपद में संचालित अवैध जुआ/सट्टा पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक- 17.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित की गयी उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान बाईपास दमक चौराहे पर टिन सेड के नीचे वहद कस्बा बेलाताल पर रुपये पैसो से हार जीत की बाजी लगाकर ताश पत्तो से जुंआ खेलते हुये 05 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.अजमेरी पुत्र पयार मोहम्मद उम्र करीब 29 वर्ष 2.नईम पुत्र मुन्ना उम्र करीब 28 वर्ष 3.शहदाद पुत्र ववली उम्र करीब 19 वर्ष 4.इशरार खां पुत्र ज्ञान मोहम्मद उम्र करीब 45 वर्ष 5.तौहीद पुत्र वली मोहम्मद उम्र करीब 29 वर्ष निवासीगण मोहल्ला बजरिया जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को हिरासत में लिया गया। जिसके मौके से मालफड़ 2820 रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते व जामातलाशी 310 रुपये नगद बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 189/2025 धारा 13 जुँआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण का विवरण:-

1.अजमेरी पुत्र पयार मोहम्मद उम्र करीब 29 वर्ष निवासी मु0 बजरिया जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा 2.नईम पुत्र मुन्ना उम्र करीब 28 वर्ष निवासी मु0 बजरिया जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा 3.शहदाद पुत्र ववली उम्र करीब 19 वर्ष निवासी मु0 बजरिया जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा 4.इशरार खां पुत्र ज्ञान मोहम्मद उम्र करीब 45 वर्ष निवासी मु0 बजरिया जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा 5.तौहीद पुत्र वली मोहम्मद उम्र करीब 29 वर्ष निवासी मु0 बजरिया जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

अभियुक्तगण से बरामद माल का विवरण:-

मालफड़ 2820 रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते व जामातलाशी 310 रुपये

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1.उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल
2. का0 कुलदीप सिंह 3. का0 जितेन्द्र कुमार बिन्द
4. का0 कौशल प्रताप 5. का0 अनुराग

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 18.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

शस्त्र अधिनियम के अभियोग में आरोपी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा की गयी गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन के साथ मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप जे.एम. कोर्ट चरखारी द्वारा शस्त्र अधिनियम के अभियोग में परीक्षणोपरांत नामित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना चरखारी में पंजीकृत मु0अ0सं0 775/2013 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त मलखान पुत्र छितैया अहिरवार निवासी बगरौन थाना चरखारी जनपद महोबा को जेल में बिताई गयी अवधि व 1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।

महमूदुर रहमान,
सहायक अभियोजन अधिकारी

आ0. मिथलेश कुमार
पैरोकार थाना चरखारी महोबा

@MahobaPolice